उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 3483 / निदे०(मा०सं०) / उपाकालि / दिनांक 23/10/18

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्पेशल अपील संख्या 250/2018, सतेन्द्र सिंह नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 06.07.2018 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग–2 के पत्रांक 1982/ I(2)/2018–06(2)–21/2015 दिनांक 23/10/2018 के द्वारा अनुमोदित उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड अवर अभियन्ता(विद्युत एवं मैकेनिकल) सेवा उपविधि, 2018 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3483 –निदे०(मा०सं०) / उपाकालि तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव– सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक(परियोजना/परिचालन/वित्त/मानव संसाधन), उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, उपाकालि, ...।
4. महाप्रबन्धक(विधि) एवं कम्पनी सचिव, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रो०), उपाकालि, वि०क्रॉ०वि०गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेबसाइट पर उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड अवर अभियन्ता(विद्युत एवं मैकेनिकल) सेवा उपविधि, 2018 को अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वितरण), कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे स्पेशल अपील संख्या 250/2018, सतेन्द्र सिंह नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 06.07.2018 के अनुपालन में करपोरेशन अधिवक्ता के माध्यम मा० उच्च न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उपाकालि, वि०क्रॉ०वि०गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फ़ाईल।

(बी०सी०के० मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 1982/I(2)/2018–06(2)–21/2015

प्रेषक,
राधिका झा,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2018

विषयः– उपाकालि के अवर अभियन्ता (ई0एण्ड एम0) ड्राफ्ट नियमावली के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2185/नि0दे0 (मा0सं0)/उपाकालि दिनांक 16.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भगत पत्र के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये गये अवर अभियन्ता (ई0एण्डएम0) ड्राफ्ट उपविधि, 2018 पर सम्यक् परीक्षणोपरान्त उपविधि को निम्नवत् प्रख्यापित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता हैः–

No.1126/MD/ E1 Dt.23/10/2018

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 10 सपठित उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के संगम अनुच्छेद (Articles of Association) के अनुच्छेद 49 एवं अनुच्छेद 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में विद्यमान समस्त नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उक्त संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 68 के अर्न्तगत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मण्डल, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड अवर अभियन्ता (विद्युत एवं मैकेनिकल) सेवा में भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों, की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित उपविधि बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) सेवा उपविधि, 2018

भाग एक

सामान्य

Today only Urgent DCHR / GM(HR) GM(Legal) Pl. take immediate action 23/X/18

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस उपविधि का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड अवर अभियन्ता (विद्युत एवं मैकेनिकल) सेवा उपविधि, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रयोज्यता

2. यह उपविधि उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ग तीन के अवर अभियंताओं (विद्युत एवं मैकेनिकल) सहित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसरण में जो उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड से स्थानान्तरित हो गये हैं और उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सेवा में संविलियन हो गये हैं तथा उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के गठन के उपरान्त नियुक्त किये गये हैं, पर लागू होगी।

अध्यारोही

3. संवर्ग में उपर्युक्त पदों से सम्बन्धित किन्हीं नियमों या किसी विशिष्ट नियमों और इस उपविधि के उपबन्धों के मध्य किसी असंगतता की दशा में –

यदि इस उपविधि के प्रारम्भ से पूर्व किन्हीं मामलों में बनाये गये हो तो ऐसे विशिष्ट

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

प्रभाव — नियम होते हुये भी इस उपविधि के उपबंध, अधिभावी होंगे;

सेवा की प्रास्थिति — **4.** उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड अवर अभियन्ता (विद्युत एवं मैकेनिकल) सेवा उपविधि में **समूह–ग** के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं — **5.** जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस उपविधि में:–

(क) **''नियुक्ति''** से विभागीय परीक्षा या पदोन्नति के माध्यम से या सीधी भर्ती या चयन द्वारा किसी संवर्ग में किसी पद पर नियमित नियुक्ति अभिप्रेत है;

(ख) **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से सेवा के सदस्यों के लिए कार्पोरेशन द्वारा उपविधि के खण्ड–7 में यथाविनिर्दिष्ट या कोई अन्य प्राधिकारी जिसे पृथक से अधिसूचित किया गया हो, अभिप्रेत है;?

(ग) **''भारत का नागरिक''** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) **''अवर अभियंता''** से कोई अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) अभिप्रेत है जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो। इनमें समकक्ष स्तर के ऐसे अन्य पद जैसा कम्पनी समय–समय पर अधिसूचित करे और संवर्ग में सम्मिलित करे, भी सम्मिलित होंगें ;

(ङ) **''बोर्ड''** से कम्पनी का निदेशक मण्डल अभिप्रेत है;

(च) **''कम्पनी''** से कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन संरचित उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन कार्पोरेशन के रूप में भी संदर्भित किया गया है;

(छ:) **''अध्यक्ष''** से कम्पनी के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) **''निदेशक''** से निदेशक मण्डल का पूर्णकालिक या अंशकालिक या पदेन सदस्य अभिप्रेत है;

(झ) **''निदेशक (मानव संसाधन)''** से ऐसा निदेशक अभिप्रेत है जिसे कम्पनी के मानव संसाधन और प्रशासन से संबंधित मामलों को देख–रेख के लिए नियुक्त अथवा नामित किया जाता है;

(ञ) **''अनुशासनिक प्राधिकारी''** से किसी पद/पदों के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी जिसे अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय अभिप्रेत है और इसमें नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर सभी प्राधिकारी सम्मिलित हैं;

(ट) **''संविधान''** से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ठ) **''सरकार''** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ड) **''अवर अभियंता (प्रशिक्षु)''** से किसी तकनीकी शिक्षा के राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार या भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा कोई अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से विनिर्दिष्ट अभियंत्रण में नियमित त्रिवर्षीय डिप्लोमा धारक कोई अभ्यर्थी जिसे कम्पनी के अधीन किसी पाठ्यक्रम के

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

प्रशिक्षु हेतु इन नियमों में विहित रीति से कम्पनी द्वारा नियुक्त किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ढ़) "**प्रबंध निदेशक**" से कम्पनी का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है और इसमें प्रतिनिधायन या अन्यथा राज्य सरकार द्वारा प्रबंध निदेशक के कृत्यों को निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई निदेशक भी सम्मिलित है;

(ण) "**प्रतिवेदक अधिकारी**" से उसे रिर्पोट करने वाले अधिकारी के नियंत्रण और निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियुक्त पदाविहित अधिकारी अभिप्रेत है;

(त) "**समीक्षा प्राधिकारी**" से रिर्पोटिग अधिकारी के निर्णय को पुनर्विलोकित करने के प्रयोजनार्थ इस रूप में पदाविहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(थ) "**स्वीकर्ता प्राधिकारी**" से प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षा अधिकारी के निर्णयों के पुनर्विलोकन/स्वीकर्ता के प्रयोजनार्थ इस रूप में पदाविहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(द) "**विभागीय चयन/पदोन्नति समिति**" से खण्ड 20(ग) में विनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(ध) "**चयन सूची**" से इस उपविधि के अनुसरण में तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची अभिप्रेत है;

(न) "**प्रशिक्षित अवर अभियंता**" से कोई अवर अभियंता (प्रशिक्षु) अभिप्रेत है जिसे कम्पनी के अधीन सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात कम्पनी में अवर अभियंता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त घोषित किया हो;

(प) "**प्रतीक्षा सूची**" से नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत चयनित अभ्यर्थियों की सूची अभिप्रेत है;

(फ) "**भर्ती का वर्ष**" से कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(ब) "**सेवा का सदस्य**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस उपविधि या इस उपविधि के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(भ) "**संवर्ग**" से अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) की सेवा के पदों की इकाई या वर्ग अभिप्रेत है;

भाग दो

संवर्ग

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

सेवा का संवर्ग 6. सेवा में अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) एवं प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए, वर्तमान में अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिक) के शासन द्वारा स्वीकृत कुल पदों की संख्या 638 है;

परन्तु यह कि किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोडे जाने या उसे आस्थगित रखे जाने की स्थिति में कोई व्यक्ति नियुक्ति/प्रतिकर का हकदार न होगा।

नियुक्ति प्राधिकारी 7. सेवा के सदस्यों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक मानव संसाधन या कोई अन्य अधिकारी जिसे इसके लिए कार्यालय ज्ञाप द्वारा नामित किया गया हो, होगा।

भाग तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत 8. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

पदनाम	कोटा	पात्रता
अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल)	60 प्रतिशत	अवर अभियंता (प्रशिक्षु) में से सीधी भर्ती जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अवधि को पूर्ण कर लिया हो।
	[37 प्रतिशत + 03 प्रतिशत] = 40 प्रतिशत	परिचालकीय वर्ग के कर्मचारीगण में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और तकनीकी ग्रेड–एक और तकनीकी ग्रेड–दो (विद्युत/लाईन) और केबिल ज्वाइंटर (पी चार, पी पांच और पी छः) में कार्यरत अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा 37 प्रतिशत एवं तकनीशियन (ग्रेड–1/2) (विद्युत एवं लाईन)/केबिल ज्वांइटर के पद पर स्थायी डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी कार्मिकों में से लिखित परीक्षा के माध्यम से विभागीय प्रोन्नति के आधार पर 03 प्रतिशत, जो कि नियम 20 में दी गयी है; परन्तु यह प्रावधान उ0प्र0 राविप/उ0प्र0पाकालि के ऐसे कार्मिक जो उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में आमेलित है, पर उस सीमा तक लागू होगी, जहाँ तक पूर्ववर्ती उ0प्र0राविप सब–ओर्डिनेट इलैक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन, 1972 के अन्तर्गत अनुमन्य है।

भाग चार

सीधी भर्ती हेतु अर्हताएं

आरक्षण 9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

राष्ट्रीयता

10. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 01 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानायिका और जंजीवार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो ;

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) एवं (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जाऐगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी – जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है तो उस वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी नियत की जाये होनी चाहिए।

इस उपविधि के प्रयोजनार्थ आयु की गणना जन्म की तारीख से की जाएगी। सेवा में प्रवेश से पूर्व जन्म की तारीख के लिए साक्ष्य हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

शैक्षिक / तकनीकी अर्हता

12. अवर अभियंता (प्रशिक्षु) विद्युत एवं मैकेनिकल के पद की सीधी भर्ती के लिए सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विद्युत / इलेक्ट्रानिक्स / विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स और कम्यूनिकेशन / एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन के त्रिवर्षीय नियमित डिप्लोमा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ तथा विधि द्वारा स्थापित तकनीकी शिक्षा राज्य परिषद / विश्वविद्यालय या संस्था अथवा

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

केन्द्र/राज्य सरकार या भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था से होना चाहिए, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण–पत्र एवं फेन्चाइजी संस्थाओं द्वारा ऑफ कैम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री एवं गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नहीं होंगे। विभागीय कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्तीर्णांक अंकों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों तथा कतिपय अन्य श्रेणियों हेतु शिथिलता

13. भूतपूर्व सैनिकों, अशक्त सैन्य कर्मियों, सैन्य कार्यवाही में मारे गये सैन्य कर्मियों के आश्रित, दिव्यांगों, कार्पोरेशन में कार्यरत मृतक कर्मचारियों के आश्रित और खिलाडियों तथा किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक योग्यताओं या/और किसी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के लिए यदि कोई शिथिलता हो तो इस सम्बन्ध में भर्ती के समय पर प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों का अनुसरण किया जायेगा।

चरित्र

14. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह कार्पोरेशन/कम्पनी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

अभ्यर्थी –

(एक) विश्वविद्यालय के शैक्षिक अधिकारी–छात्र कल्याण अधिष्ठाता या प्राचार्य या अपने अन्तिम नियोक्ता से जिसके अधीन उसने कार्य किया हो; और

(दो) दो उत्तरदायी व्यक्तियों से (जो उसके सम्बंधी न हो), जो उसे भली भांति जानते हो और वह विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल से सम्बंधित न हो, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे;

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी के मामले में चरित्र तथा पूर्ववर्ती किसी सम्बन्ध में ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारियों से जैसा वह आवश्यक समझे, अग्रेत्तर जांच करा सकेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

15. ऐसा पुरुष, अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पांत्र नहीं होगा/होगी;

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि:

(1) उस व्यक्ति पर लागू पारिवारिक विधि (Personal Law) में इसकी अनुमन्यता है तथा

(2) ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

शारीरिक स्वस्थ्यता

16. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से. मुक्त हो जिससे उसके अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय–3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे

परन्तु, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

परन्तु यह कि The Right of Persons with Disabilities Act, 2016 (अधिनियम वर्ष 2016 संख्या 49 भारत सरकार) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग–पांच

भर्ती के लिए प्रक्रिया

प्रतिवर्ष की जाने वाली भर्ती

17. भर्ती के लिए चयन इन नियमों के अधीन जब और जैसे आवश्यक हो, की जायेगी। भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त आरक्षण नियमों/रोस्टर का पालन किया जायेगा।

चयन हेतु प्रक्रिया

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

(2) अवर अभियंता (प्रशिक्षु) विद्युत एवं मैकेनिकल के पद पर सीधी भर्ती खुली लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से की जायेगी।

(3) चयन हेतु दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों तथा कम्पनी की वेबसाइट में अर्ह अभ्यर्थियों से जिनके पास विज्ञापन की तारीख को उत्तराखण्ड में किसी रोजगार कार्यालय में वैद्य पंजीकरण हो, से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी करेगी। अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासी हैं और उत्तराखण्ड के किसी संगठन में प्रशिक्षुता प्राप्त की है, से रोजगार कार्यालय पंजीकरण की अपेक्षा से मुक्त रखा जायेगा। उत्तराखण्ड के मूल निवासी जिनके पास राज्य से बाहर की किसी संस्थाओं का अर्जित प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र हो और उसने राज्य से बाहर किसी अन्य स्थान पर प्रशिक्षुता प्राप्त की हो वह भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा नामित संस्था से यथा प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा तीन घंटे की 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रश्नपत्र के भाग एक में 80 अंक और भाग दो में 120 अंक होंगे। भाग एक सामान्य ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, रिजनिंग और अंकीय क्षमता इत्यादि से संरचित होगा। भाग दो में 'डिप्लोमा' स्तर के अभियंत्रण विषयों से सम्बंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रीति के चार विकल्पीय उत्तरों जिसमें

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

से केवल एक सही/उत्तम उत्तर होगा, वस्तुनिष्ठ के रूप में होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा। प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए ¼ अंक घटा दिये जायेंगे। प्रश्नपत्र द्विभाषीय अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/व्यवस्था के अनुसार होगी।

(6) सामान्य और अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न–पत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम अर्हता 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में पृथक–पृथक 35 प्रतिशत अथवा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाय, होगी।

(7) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों के नाम व्यवस्थित करते हुए तैयार की जायेगी।

(8) अभ्यर्थी जिनके लिखित परीक्षा में सामान अंक हो, के नाम इस रीति से व्यवस्थित किये जायेंगे जिससे कि आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में ऊपर के स्थान पर आ जाय।

चयन सूची

19. (1) सभी श्रेणियों में 25 प्रतिशत रिक्तियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(2) चयन सूची के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(3) राज्य सरकार भर्ती के दौरान किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त अथवा स्थगित कर सकेंगे।

विभागीय चयन

20. **चयन की प्रक्रिया निम्नवत दी गयी है–**

(क) विभागीय प्रोन्नति हेतु कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरूद्ध 200 अंको की 3 घण्टे की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रीति के चार विकल्पीय उत्तरों जिसमें से केवल एक सही/उत्तम उत्तर होगा, वस्तुनिष्ठ के रूप में होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा। प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए ¼ अंक घटा दिये जायेंगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा। प्रश्नपत्र हिन्दी में होगा। जिसका प्रारूप निम्नवत् होगा :–

(1) सामान्य हिन्दी	– 40 प्रश्न
(2) सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	– 40 प्रश्न
(3) तकनीकी ज्ञान	– 100 प्रश्न
(4) कम्प्यूटर ज्ञान	– 20 प्रश्न

(ख) **विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता:–**

(एक) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड–1/2) (विद्युत एवं लाईन)/केबिल ज्वाइंटर के पद पर स्थायी घोषित हो।

(दो) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड–1/2) (विद्युत एवं लाईन)/केबिल ज्वाइंटर के पद पर 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुका हो।

(तीन) तकनीशियन (ग्रेड–1/2) (विद्युत एवं लाईन)/केबिल ज्वाइंटर के पद पर स्थायी डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी कार्मिकों के लिए 03 प्रतिशत कोटे के

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

अन्तर्गत तकनीशियन (ग्रेड–1/2) (विद्युत एवं लाईन)/केबिल ज्वांइटर के पद पर अर्हकारी सेवा की न्यूनतम अवधि 05 वर्ष की होगी, परन्तु यह कि:–

(1) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण–पत्र एवं फ्रेन्चाइजी संस्थानों द्वारा ऑफ कैम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नहीं होंगे।

(2) गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नही होंगे:

परन्तु यह प्रावधान उ0प्र0 राविप/उ0प्र0पाकालि के ऐसे कार्मिक जो उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में आमेलित है, पर उस सीमा तक लागू होगी, जहाँ तक पूर्ववर्ती उ0प्र0 राविप सब–ओर्डिनेट इलैक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजिनियरिंग सर्विस रेगुलेशन, 1972 के अन्तर्गत अनुमन्य है।

(ग) **पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति का गठन –**

नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित सदस्यों से संरचित पदोन्नति हेतु गठित विभागीय चयन समिति द्वारा परिचालकीय संवर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों में से अवर अभियंता के पद के लिए चयन किया जाएगा –

(एक) महा प्रबन्धक – मानव संसाधन,

(दो) अभियन्त्रण संवर्ग से एक मुख्य अभियंता,

(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियंता की श्रेणी से अन्यून कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का अधिकारी;

भाग–छ:

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति 21. (क) **अवर अभियंता (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्ति :**

(1) सभी नियुक्तियां संवर्ग में केवल स्वीकृत पद के विरूद्ध की जायेंगी।

(2) अभ्यर्थी का चयन अवर अभियंता (प्रशिक्षु) के रूप में अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) के रूप में सीधी भर्ती के लिए चिन्हांकित रिक्त पद/होने वाले रिक्त पद के विरूद्ध की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की चयन सूची में से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में अंकित है यथा प्रवीणता क्रम में नियुक्ति करेगा।

(4) यदि कोई चयन सूची से नियुक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जायेगी, यद्यपि यदि चयन सूची से नियुक्त कोई अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करता है और उसके पश्चात एक वर्ष की अवधि में अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो ऐसी रिक्ति प्रतीक्षा सूची से नहीं भरी जायेगी, अपितु उसे अगली भर्ती के लिए अग्रसारित कर दिया जायेगा।

(5) प्रशिक्षु के रूप में किसी मौलिक पद पर चयनित कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के पश्चात मौलिक पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से न्यूनतम तीन

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

वर्ष के लिए कम्पनी की सेवा हेतु गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सेवायें देने के लिए करार निष्पादित करेगा।

(6) अवर अभियंता (प्रशिक्षु) विद्युत एवं मैकेनिकल के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम एक वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अवधि के लिए जैसा कार्पोरेशन/कम्पनी द्वारा विनिश्चित किया जाय, प्रशिक्षणाधीन रहेगा।

(7) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षु ऐसे नियमों, उपविधियों और आदेशों से आच्छादित होंगे जैसा कि समय-समय पर आदेशों द्वारा विहित किया जाय और प्रशिक्षु की दक्षता त्रैमासिक रिपोर्ट के माध्यम से नियमित रूप से आंकलित की जायेगी।

(8) प्रशिक्षण की समाप्ति पर और अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) के रूप में नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षु से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह यथाविहित अंतिम परीक्षा को उत्तीर्ण करे। यदि अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) के रूप में नियुक्त के लिए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी प्रशिक्षण अवधि दो वर्षों के प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि के अध्याधीन विस्तारित कर दी जायेगी और उसे अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) के रूप में नियुक्त के लिए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक और अवसर दिया जा सकेगा। उक्त के पश्चात प्रशिक्षु सेवा से पृथक करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(9) अभ्यर्थी यदि प्रथम परीक्षा या तत्पश्चात परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में असफल होता है तो वह अपनी वरिष्ठता खो देगा।

नियुक्ति से पूर्व प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

(ख) अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र/घोषणा का प्रस्तुतीकरण

सीधी भर्ती के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह जैसा नीचे दिया गया है के अनुसार प्रपत्र प्रस्तुत/जमा करेगा –

(क) प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रमाण पत्र की प्रतियां/शपथ पत्र/बांड

(1) हाईस्कूल तथा उससे ऊपर शैक्षिक/तकनीकी/व्यवसायिक अर्हताओं की सभी स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियां और अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु मूल प्रतियों सहित। मूल प्रतियां सत्यापन के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

(2) जन्म की तारीख का साक्ष्य,

(3) चरित्र प्रमाणपत्र,

अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह –

(एक) विश्वविद्यालय के शैक्षिक अधिकारी-छात्र कल्याण अधिष्ठाता या प्राचार्य या अपने अंतिम नियोक्ता से जिसके अधीन उसने कार्य किया हो; और

(दो) दो उत्तरदायी व्यक्तियों से (जो उसके सम्बन्धी न हो), जो उसे भली भांति जानते हो और वह विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल से सम्बंधित न हो, से चरित्र अच्छा होने से सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे;

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी के मामले में चरित्र तथा पूर्ववर्ती किसी सम्बन्ध में ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारियों से जैसा वह आवश्यक समझे, अग्रेतर जांच करा सकेगा।

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग-2
उत्तराखण्ड शासन

(4) यदि कोई कर्मचारी सरकारी या अर्द्धसरकारी/लोक संगठन या स्थानीय निकाय में कार्यरत हो तो उसके अंतिम नियोक्ता द्वारा उसका कार्यभार मुक्त प्रमाण पत्र ।

(5) नियम 16 के अधीन जारी स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।

(6) राज्य में आरक्षण से सम्बन्धित प्रभावी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता सेनानी आश्रित/पूर्व सैनिक/अशक्त/दिव्यांग या अन्य कोई प्रमाण पत्र जैसा लागू हो, की प्रति।

(7) उत्तराखण्ड राज्य की स्थायी निवासी या मूल अधिवासी का प्रमाण पत्र जैसा लागू हो।

(8) रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसा लागू हो।

(9) सेवा बांड किसी मौलिक पद के विरूद्ध प्रशिक्षु के रूप में चयनित कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के पश्चात मौलिक पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष के लिए कम्पनी में सेवारत रहने हेतु कम्पनी द्वारा न्यूनतम रूपया दो लाख अथवा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि प्रतिभू के साथ प्रशिक्षु के रूप में कार्यभार करते समय रूपया एक सौ रूपये (रू0 100/-) के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक सेवा बांड निष्पादित करेगा। यदि किसी मामले में मौलिक पद में प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से कोई प्रशिक्षु तीन वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व कम्पनी की सेवाओं को छोडता है तो प्रशिक्षु और प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से कार्पोरेशन को बांड धनराशि की राशि भुगतान की जायेगी। बांड प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या उसके समकक्ष अधिकारी के समक्ष निष्पादित किया जायेगा। प्रशिक्षु और प्रतिभू के हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा कोर्ट मुहर सहित सत्यापित किया जायेगा। बांड प्रतिभू के संबंध में किसी राजस्व अधिकारी जो कि तहसीलदार की श्रेणी से निम्न न हो, का शोधन क्षमता प्रमाण पत्र साथ में संलग्न किया जायेगा। यदि प्रतिभू किसी राजकीय, अर्द्धराजकीय, लोक संगठनों में कार्य कर रहा हो तो एक नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र सम्पूर्ण वेतन विवरण सहित जिसे नियोक्ता द्वारा जारी किया गया हो, को शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के क्रम में स्वीकार किया जा सकेगा।

या

यदि वह बांड को निष्पादित करने के योग्य नहीं है तो अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण के प्रारम्भ की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंक में रूपया दो लाख मात्र का नियतकालिक जमा भी किया जा सकेगा और उसे कार्पोरेशन के नाम से बंधक रखना होगा तथा इस नियतकालिक जमा को मूल रूप में कार्पोरेशन में प्रस्तुत करना होगा। नियतकालिक जमा के साथ उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह सौ रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर कार्पोरेशन के नाम से एक प्राधिकृत पत्र जमा करेगा जिसमें यह उल्लिखित किया जायेगा कि प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग-2
उत्तराखण्ड शासन

की सेवा के पूर्व कार्पोरेशन को सेवा छोड़ने पर कार्पोरेशन इसे आहरित कर सकेगा।

(ख) **घोषणा पत्र/नामांकन प्रपत्र/शपथपत्र**

(क) प्रारूप – 'क' में वैवाहिक स्तर के बारे में घोषणा पत्र;

(ख) प्रारूप – 'ख' में कम्पनी में कार्यरत किसी व्यक्ति के साथ उसका संबंध होने/न होने का घोषणा पत्र;

(ग) प्रारूप – 'ग' में ऋण से मुक्त होने/न होने का घोषणा पत्र;

(घ) समस्त स्थावर और जंगम(चल अचल) सम्पत्ति की घोषणा जिसमें उसके द्वारा अथवा उसके किसी पारिवारिक आश्रित द्वारा क्रय की गई अथवा अर्जित की गई आवासीय सम्पत्ति सम्मिलित होगी। ऐसी सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण विहित प्रारूप– 'घ' में दिया जायेगा।

(ड.) नोटरी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित स्टाम्प पेपर पर विहित प्रारूप– 'ड.' में कार्पोरेशन को दी गई निष्ठा की शपथ।

(च) विहित प्रारूप– 'च' पर किसी राजनीतिक दल से सम्बद्धता/संयोजक्ता न होने का घोषणा पत्र।

(छ) विहित प्रारूप– 'छ' पर किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/लोक संगठनात्मक किसी संस्था का कर्मचारी होने/न होने का घोषणा पत्र।

(ज) विहित प्रारूप– 'ज' पर पारिवारिक सदस्यों और आश्रितों का घोषणा पंत्र।

(झ) विहित प्रारूप– 'झ' पर (चार प्रतियों में) चरित्र और पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए विहित प्रारूप में विवरण।

(ञ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों तथा घोषणापत्रों की वास्तविकता और प्राधिकर्ता के बारे में शपथपत्र प्रारूप– 'ञ' तथा लोक नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित स्टाम्प पर दिवालिया न होने का प्रमाण पत्र।

(ट) समय समय पर यथासंशोधित विहित प्रारूप पर ग्रेच्युटी संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नामांकन।

(ठ) यथासंशोधित भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में विहित प्रारूप पर नामांकन पत्र।

(ग) **मौलिक रूप से नियुक्तिः**

(एँक) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अवधिं समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षु अवर अभियंता के मौलिक पद पर परिवीक्षा में नियुक्त किया जायेगा।

(दो) विभागीय चयन के माध्यम से परिचालकीय वर्ग के अर्ह कर्मचारियों में से चयनित कर्मचारी भी अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) के मौलिक पद पर परिवीक्षा में नियुक्त किये जायेंगे।

परिवीक्षा **22.** **(1)** नियुक्ति या मौलिक रिक्ति पर नियुक्त समस्त अभ्यर्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा;

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये एक वर्ष तक परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होगें। जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जायेगी। किन्तु इस तारीख के पश्चात नियमित सेवा होने पर विशिष्ट आदेश के अनुपलब्धता के कारण स्थायीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय का परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई है प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, किसी प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा।

स्थायीकरण

23. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त हो।

ज्येष्ठता

24. सेवा में नियुक्ति पर अधिकारियों की ज्येष्ठता कार्पोरेशन/कम्पनी कर्मचारी वरिष्ठता विनियमों के अनुसरण में अवधारित की जायेगी।

भाग–सात

वेतन इत्यादि

संवर्ग का वर्गीकरण तथा वेतनमान

25. (1) सेवा में किसी पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थाई रूप से हो, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) संवर्ग में वेतनमान निम्नवत है–

पदनाम	पे बैण्ड और ग्रेड पे
अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल)	पे बैण्ड रू0 9300–34800+ग्रेड पे रू0 4600 (छठे वेतनमान के अनुसार) वेतन मैट्रिक्स लेवल – 7 वेतनमान रू0 44900 – 142400 (सातवें वेतनमान के अनुसार)

प्रशिक्षण और परिवीक्षा के दौरान वेतन तथा भत्ते

26. (1) कार्पोरेशन /कम्पनी सेवा में पूर्व से कार्यरत व्यक्तियों के सिवाय किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाय, वह प्रशिक्षण अवधि में जिस पद में वह नियुक्त किया जाय के पद के विरूद्ध प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करेगा। वह महंगाई भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्तों को भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) प्रशिक्षण अवधि/बढायी गई प्रशिक्षण अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर यदि कोई व्यक्ति नियमित पद में संवर्ग में संविलियन कर लिया जाता है तो नियमित संवर्ग

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

में संविलियन के समय पर अनुमन्य प्रारम्भिक वेतन में प्रथम वेतन वृद्धि के लिए वह पात्र हो जायेगा।

(3) वह अपना अगली वार्षिक वेतन वृद्धि उसकी परिवीक्षा अवधि के एक वर्ष की संतोषजनक समाप्ति पर तथा तत्पश्चात द्वितीय वर्ष की संतोषजनक समाप्ति पर तत्संबंधी वेतन वृद्धि के लिए अर्ह हो जायेगा;

परन्तु यदि सन्तोषप्रद सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि को बढाया जाता है तो ऐसी बढी हुई अवधि वेतन वृद्धि के लिए तब तक नही गिनी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे दे।

(4) किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि में वेतन कार्पोरेशन/कम्पनी द्वारा समय–समय पर संशोधित नियमों/उपविधियों तथा आदेशों से आच्छादित होंगे।

भाग–आठ

प्रकीर्ण

पक्ष समर्थन

27. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हों या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

28. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस उपविधि या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, उपविधियों और आदेश द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

29. (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा–शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके किसी भाग के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है तो वे इस मामले में लागू इस उपविधि में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस नियम की अपेक्षाओं को इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, इस उपविधि के उपबन्धों की अपेक्षाओं से अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात निर्गत इस उपविधियों की कोई बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि कार्पोरेशन/कम्पनी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के मामले के किसी व्यवहरण को कार्पोरेशन/कम्पनी/राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित अथवा कम किया जा रहा है और इस उपविधियों द्वारा ऐसी रीति से जैसा न्यायसंगत और साम्यपूर्ण हो, आच्छादित होंगे:

परन्तु सेवा उपविधि में कोई भी शिथिलीकरण निदेशक मण्डल के अनुमोदनोंपरान्त राज्य सरकार की सहमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

व्यावृत्ति

30. इस उपविधि में किसी बात के होते हुए भी –

(क) व्यक्ति जिसे सेवा की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जा चुका है या जिसे संवर्ग के पद में नियुक्त किया जा रहा है या जिसे सेवा के पद के संवर्ग को अतिरिक्त रूप से राज्य सरकार द्वारा अन्यत्र सेवा के लिए घोषित किया गया है या वह कहीं अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर है तो वह ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसा राज्य सरकार और कम्पनी के मध्य या अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों के मध्य जैसी स्थिति हो, से आच्छादित होगा।

(ख) इस उपविधि के प्रख्यापन से पूर्व सेवा के पदों/संवर्गों में पूर्व में नियमानुसार किए गये चयन और नियुक्तियां इस उपविधि के अनुसरण में की गई समझी जायेंगी।

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

(ग) यद्यपि स्थानान्तरण योजना के अनुसार इससे पूर्व पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद / उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड से स्थानान्तरित और सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनके संविलियन की तारीख को सम्बंधित कर्मचारियों पर लागू लाभों को कम अनुकूल नहीं किया जायेगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन 31. कार्पोरेशन / कम्पनी जब कभी आवश्यक समझे इस उपविधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी को उसकी शक्तियां प्रत्यायोजित या इस उपविधि के अधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् उसकी शक्तियां प्रदत्त की जा सकेगी।

नियमों का निर्वचन 32. किसी विनियम, उपविधि उसके खण्ड के निर्वचन के बारे में किसी शंका या कोई उत्पन्न होने वाली घटना के मामले में राज्य सरकार का निर्वचन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

संशोधन की शक्ति 33. कार्पोरेशन / कम्पनी किसी भी समय पर इस उपविधि के उपबन्धों में ऐसे संशोधन / परिवर्तन निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार की सहमति के पश्चात कर सकेगी जैसा वह कार्पोरेशन / कम्पनी के हित में आवश्यक और समीचीन समझे।

कृपया उपरोक्तानुसार शासन द्वारा किये गये परीक्षण के आलोक में प्रस्तावित उक्त उपविधि को अपने स्तर से तत्काल निर्गत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवगत कराते हुए एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधिका झा)
सचिव।

संख्या– 1982 / I(2) / 2018–06(2)–21 / 2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक, देहरादून।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि / यूजेवीएन लि0 / पिटकुल देहरादून।
6. औद्योगिक विकास अनुभाग–2 (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो), उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय, परिसर।
8. गार्ड फाईल।

(विक्रम सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।